

राजस्थान-सरकार
निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे,बनीपार्क,जयपुर।

क्रमांक :- एफ.93/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2018/560-620

दिनांक 04.07.2019

परिपत्र

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(8)वित्त/राजस्व/05 पार्ट जयपुर दिनांक 24.11.2009, 07.06.2010 तथा विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ.93/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2018/1702-1768 दिनांक 09.01.2019 के द्वारा राजस्थान के समस्त राज्य कर्मचारियों का मास्टर डाटा तथा उनके जीपीएफ, राज्य बीमा एवं नवीन पेंशन योजना के खातों/पॉलिसी संख्या एवं मनोनीत का डाटाबेस तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त डाटाबेस के आधार पर राज्य कर्मचारियों को 16 डिजिट की एम्प्लॉई आईडी जारी की जा रही है।


ऐसे कार्मिक जो एम्प्लॉई आईडी जारी होने की दिनांक से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये/तत्समय एम्प्लॉई आईडी जारी किये जाने का प्रावधान नहीं था, के द्वारा स्वत्व की बकाया राशि की मांग किये जाने पर वर्तमान में विभाग द्वारा फ्लोट के माध्यम से भुगतान हेतु एसआईपीएफ पोर्टल पर एम्प्लॉई आईडी की अनिवार्यता के कारण इस प्रकार के प्रकरणों का ऑनलाईन निस्तारण किये जाने में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में विभागीय जिला कार्यालयों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा अवगत करवाया जा रहा है।

अतः इस प्रकार के प्रकरणों में एम्प्लॉई आईडी जारी करवाने हेतु सेवानिवृत्त कार्मिक के अन्तिम आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध अधिकृत रिकॉर्ड के आधार पर एसआईपीएफ पोर्टल पर डाटा ऑनलाईन सबमिट करने के पश्चात विभागीय जिला कार्यालय द्वारा एम्प्लॉई आईडी जारी कर दी जावेगी। यदि कोई सूचना आहरण एवं वितरण अधिकारी के पास अनुपलब्ध हो तो सेवानिवृत्त कार्मिक अपने अन्तिम आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करावें।

सभी कर्मचारियों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षा है कि एसआईपीएफ पोर्टल पर एम्प्लॉई डाटा सबमिट करने में पूर्ण सावधानी बरती जावे एवं प्रमाणिक सूचना ही एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड की जावे।

इसी के साथ ही राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों को दी जा रही सेवाओं के निस्तारण में गति के क्रम में सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के एम्प्लॉई मास्टर डाटा की एक बार पुनः समीक्षा करें, जिसमें जन्म तिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल एड्रेस, फेमिली डिटेल्, वैध मनोनयन आदि सूचनाओं को शीघ्र अपडेट करावे, ताकि विभाग द्वारा निष्पादित ऑनलाईन सेवाओं से राज्य कर्मचारियों को शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। कृपया उक्त परिपत्र की आवश्यक रूप से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com




(आनन्द स्वरूप)

निदेशक

क्रमांक :- एफ.93/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2018/S60-620
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

दिनांक 04.07.2019

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य के समस्त कोषाधिकारियों को अपने स्तर पर उक्त परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावे।
4. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा/प्रानि/एनपीएस/सतर्कता/साबीयो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन/विधि एवं प्रशिक्षण/डिजिटাইजेशन/मेडिकलेम, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रानि), राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय
8. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त जिला कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि अपने जिले के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर पर उक्त परिपत्र की एक-एक प्रति उपलब्ध करावें।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभाग की वेब-साईट www.sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
10. सिस्टम अनुभाग के समस्त अधिकारीगण।
11. रक्षित पत्रावली।



(बी. एन. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स